भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4394

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत की बिक्री के लिए प्राप्य दिवस

†4394. श्री के. सुधाकरन:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार विद्युत की बिक्री के लिए राज्य-वार कौन-कौन से प्राप्य दिवस हैं;

(ख) दो वर्षों से अधिक समय से बकाया प्राप्तियों और बकाया प्राप्तियों के प्रतिशत हिस्से का राज्य-वार और वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों)-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान डिस्कॉम द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण पर वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना ब्याज व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अथवा सुधार से जुड़ी किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्राप्य दिवसों में कमी करने के लिए कोई बेंचमार्क निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्राप्य दिवसों को साठ दिन के बेंचमार्क के अनुरूप बनाने और लंबे समय से लंबित प्राप्तियों के संचय को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा यूटिलिटी स्तर पर विद्युत की बिक्री से प्राप्तियों और वितरण यूटिलिटी के लिए ब्याज लागत का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है और यह यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक खातों पर आधारित होता है। पिछले दो वर्षों के लिए विद्युत बिक्री से संबंधित प्राप्ति दिनों का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

यूटिलिटी द्वारा पीएफसी को प्रस्तुत वार्षिक खातों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल उधारी पर डिस्कॉम द्वारा वहन किया गया ब्याज व्यय **अनुबंध-II** पर संलग्न है। हालांकि, कार्यशील पूंजी ऋण के लिए ब्याज व्यय अलग से नहीं है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार प्राप्ति दिनों को कम करने सहित वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार, के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। इस संबंध में की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

i. **स्मार्ट मीटरिंग**: उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटर और प्रणाली स्मार्ट मीटर की स्थापना, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करती है, संग्रहण दक्षता में वृद्धि के माध्यम से डिस्कॉम के लिए वित्तीय अनुशासन में सुधार करती है तथा वितरण प्रणाली में बेहतर ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करती है। उपभोक्ताओं को प्री-पेड मॉडल में शिफ्ट करके, वितरण यूटिलिटी अपने प्राप्ति दिनों को प्रभावी रूप से कम कर सकती हैं।

ii. **सब्सिडी और सरकारी विभागों के बकाया का भुगतान:** राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी का समय पर भुगतान और सरकारी विभागों के विद्युत बकाया का भुगतान, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत तथा राज्यों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार की सुविधा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त, यह शर्त राज्य-स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए निर्धारित अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत पूर्व-आवश्यक शर्तों में से एक भी है।

iii. **विद्युत वितरण (लेखा एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025**: ये नियम पुरानी प्राप्तियों के लिए वर्ष-वार प्रावधान को अनिवार्य बनाते हैं, जो वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति को सही रूप से दर्शाने और प्राप्ति दिनों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4394

अनुबंध-I

वितरण यूटिलिटी द्वारा विद्युत की बिक्री से प्राप्य दिन

	राज्य/डिस्कॉम	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक
1.	**राज्य क्षेत्र**	**122**	**121**
2.	**आंध्र प्रदेश**	**110**	**91**
3.	एपीसीपीडीसीएल	85	54
4.	एपीईपीडीसीएल	56	62
5.	एपीएसपीडीसीएल	184	153
6.	**असम**	**50**	**46**
7.	एपीडीसीएल	50	46
8.	**बिहार**	**233**	**227**
9.	एनबीपीडीसीएल	160	163
10.	एसबीपीडीसीएल	293	284
11.	**छत्तीसगढ़**	**96**	**82**
12.	सीएसपीडीसीएल	96	82
13.	**गुजरात**	**7**	**6**
14.	डीजीवीसीएल	1	1
15.	एमजीवीसीएल	17	10
16.	पीजीवीसीएल	12	11
17.	यूजीवीसीएल	2	1
18.	**हरियाणा**	**48**	**61**
19.	डीएचबीवीएनएल	65	76
20.	यूएचबीवीएनएल	24	41
21.	**हिमाचल प्रदेश**	**22**	**27**
22.	एचपीएसईबीएल	22	27
23.	**झारखंड**	**281**	**363**
24.	जेबीवीएनएल	281	363
25.	**कर्नाटक**	**53**	**76**
26.	बेस्कॉम	36	43
27.	चेस्कोम	59	108
28.	गेस्कॉम	84	144
29.	हेस्कोम	115	165
30.	मेस्कॉम	49	67
31.	**केरल**	**48**	**37**
32.	केएसईबीएल	48	37
33.	**मध्य प्रदेश**	**166**	**174**
34.	एमपीएमएकेवीवीसीएल	236	264
35.	एमपीपीएकेवीवीसीएल	85	86
36.	एमपीपीओकेवीवीसीएल	200	198
37.	**महाराष्ट्र**	**200**	**187**
38.	एमएसईडीसीएल	200	187
39.	**मणिपुर**	**391**	**432**
40.	एमएसपीडीसीएल	391	432
41.	**मेघालय**	**195**	**134**
42.	एमईपीडीसीएल	195	134

43.	**पंजाब**	**89**	**81**
44.	पीएसपीसीएल	89	81
45.	**राजस्थान**	**25**	**26**
46.	एवीवीएनएल	12	13
47.	जेडीवीवीएनएल	33	49
48.	जेवीवीएनएल	30	24
49.	**तमिलनाडु**	**58**	**56**
50.	टेनजेडको	58	
51.	टीएनपीडीसीएल		56
52.	**तेलंगाना**	**219**	**257**
53.	टीएसएनपीडीसीएल	397	461
54.	टीएसएसपीडीसीएल	168	199
55.	**त्रिपुरा**	**204**	**193**
56.	टीएसईसीएल	204	193
57.	**उत्तर प्रदेश**	**310**	**295**
58.	डीवीवीएनएल	357	292
59.	केस्को	248	204
60.	एमवीवीएनएल	280	373
61.	पीएवीवीएनएल	150	149
62.	पीयूवीवीएनएल	555	457
63.	**उत्तराखंड**	**18**	**21**
64.	यूपीसीएल	18	21
65.	**पश्चिम बंगाल**	**60**	**60**
66.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	60	60
67.	**निजी क्षेत्र**	**20**	**17**
68.	**दिल्ली**	**10**	**8**
69.	बीआरपीएल	13	9
70.	बीवाईपीएल	12	9
71.	टीपीडीडीएल	6	5
72.	**गुजरात**	**30**	**30**
73.	टॉरेंट अहमदाबाद	30	30
74.	टॉरेंट पावर सूरत	29	29
75.	**महाराष्ट्र**	**15**	**15**
76.	एईएमएल	15	15
77.	**ओडिशा**	**30**	**23**
78.	टीपीएनओडीएल	16	10
79.	टीपीएसओडीएल	96	63
80.	टीपीडब्ल्यूओडीएल	28	25
81.	टीपीसीओडीएल	21	16
82.	**उत्तर प्रदेश**	**14**	**15**
83.	एनपीसीएल	14	15
84.	**पश्चिम बंगाल**	**56**	**62**
85.	आईपीसीएल	56	62
	कुल योग	**113**	**112**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4394

अनुबंध-II

वितरण यूटिलिटी की ब्याज लागत (करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1.	**राज्य क्षेत्र**	**65,895**	**74,646**	**73,738**
2.	**अंडमान एवं निकाबेार द्वीप समूह**	**81**	**82**	**83**
3.	अंडमान एवं निकाबेार पीडी	81	82	83
4.	**आंध्र प्रदेश**	**3,542**	**5,493**	**6,678**
5.	एपीसीपीडीसीएल	938	1,602	1,854
6.	एपीईपीडीसीएल	1,124	1,434	1,889
7.	एपीएसपीडीसीएल	1,481	2,456	2,935
8.	**असम**	**137**	**175**	**214**
9.	एपीडीसीएल	137	175	214
10.	**बिहार**	**1,469**	**1,943**	**1,562**
11.	एनबीपीडीसीएल	650	971	688
12.	एसबीपीडीसीएल	819	972	874
13.	**छत्तीसगढ़**	**775**	**961**	**891**
14.	सीएसपीडीसीएल	775	961	891
15.	**गोवा**	**11**	**11**	**10**
16.	गोवा पीडी	11	11	10
17.	**गुजरात**	**360**	**721**	**704**
18.	डीजीवीसीएल	99	234	217
19.	एमजीवीसीएल	54	96	93
20.	पीजीवीसीएल	118	224	220
21.	यूजीवीसीएल	89	167	175
22.	**हरियाणा**	**777**	**1,433**	**1,726**
23.	डीएचबीवीएनएल	355	720	975
24.	यूएचबीवीएनएल	423	713	751
25.	**हिमाचल प्रदेश**	**485**	**580**	**588**
26.	एचपीएसईबीएल	485	580	588
27.	**झारखंड**	**1,219**	**1,381**	**1,797**
28.	जेबीवीएनएल	1,219	1,381	1,797
29.	**कर्नाटक**	**3,678**	**3,848**	**5,322**
30.	बेस्कॉम	1,229	1,721	2,289
31.	चेस्कोम	328	388	454
32.	गेस्कॉम	555	618	837
33.	हेस्कोम	1,438	986	1,583
34.	मेस्कॉम	128	136	159
35.	**केरल**	**1,493**	**2,394**	**1,849**
36.	केएसईबीएल	1,491	2,391	1,846
37.	टीसीईडी	2	3	3
38.	**मध्य प्रदेश**	**3,460**	**4,052**	**4,243**
39.	एमपीएमएकेवीवीसीएल	1,345	1,511	1,535
40.	एमपीपीएकेवीवीसीएल	1,004	1,216	1,262
41.	एमपीपीओकेवीवीसीएल	1,111	1,324	1,446
42.	**महाराष्ट्र**	**11,944**	**8,955**	**9,655**
43.	एमएसईडीसीएल	11,825	8,780	9,469
44.	बीईएसटी	119	175	186
45.	**मणिपुर**	**19**	**29**	**30**
46.	एमएसपीडीसीएल	19	29	30
47.	**मेघालय**	**167**	**146**	**133**
48.	एमईपीडीसीएल	167	146	133
49.	**पुद्दुचेरी**	**23**	**29**	**22**

50.	पुद्दुचेरी पीडी	23	29	22
51.	पंजाब	**1,474**	**1,672**	**1,758**
52.	पीएसपीसीएल	1,474	1,672	1,758
53.	राजस्थान	**7,707**	**9,775**	**10,892**
54.	एवीवीएनएल	2,212	2,635	2,919
55.	जेडीवीवीएनएल	2,717	3,508	4,019
56.	जेवीवीएनएल	2,778	3,632	3,954
57.	**सिक्किम**	**3**	**0**	**0**
58.	सिक्किम पीडी	3	0	0
59.	तमिलनाडु	**13,451**	**16,440**	**10,517**
60.	टेनजेडको	13,451	16,440	
61.	टीएनपीडीसीएल			10,517
62.	तेलंगाना	**3,472**	**4,667**	**5,883**
63.	टीएसएनपीडीसीएल	971	1,359	1,709
64.	टीएसएसपीडीसीएल	2,501	3,308	4,175
65.	त्रिपुरा	**24**	**37**	**57**
66.	टीएसईसीएल	24	37	57
67.	**उत्तर प्रदेश**	**8,062**	**7,643**	**6,951**
68.	डीवीवीएनएल	2,070	1,963	1,835
69.	केस्को	285	285	254
70.	एमवीवीएनएल	1,808	1,740	1,613
71.	पीएवीवीएनएल	1,154	1,057	869
72.	पीयूवीवीएनएल	2,745	2,599	2,380
73.	**उत्तराखंड**	**217**	**298**	**341**
74.	यूपीसीएल	217	298	341
75.	पश्चिम बंगाल	**1,846**	**1,879**	**1,830**
76.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1,846	1,879	1,830
77.	**निजी क्षेत्र**	**3,926**	**3,635**	**3,916**
78.	**दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव**	**18**	**एनए**	एनए
79.	डीएनएचडीडीपीडीसीएल	18	एनए	एनए
80.	**दिल्ली**	**2,329**	**2,347**	**2,310**
81.	बीआरपीएल	1,122	1,090	1,086
82.	बीवाईपीएल	921	969	985
83.	टीपीडीडीएल	286	288	238
84.	**गुजरात**	**325**	**511**	**670**
85.	टोरेंट अहमदाबाद	259	414	558
86.	टोरेंट पावर सूरत	65	98	113
87.	**महाराष्ट्र**	**282**	**324**	**368**
88.	एईएमएल	282	324	368
89.	**ओडिशा**	**315**	**395**	**512**
90.	टीपीएनओडीएल	68	103	133
91.	टीपीएसओडीएल	59	102	132
92.	टीपीडब्ल्यूओडीएल	81	100	141
93.	टीपीसीओडीएल	107	91	106
94.	**उत्तर प्रदेश**	**15**	**26**	**30**
95.	एनपीसीएल	15	26	30
96.	**पश्चिम बंगाल**	**642**	**33**	**27**
97.	सीईएससी	604	एनए	एनए
98.	आईपीसीएल	38	33	27
कुल योग		**69,821**	**78,282**	**77,653**
